न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **90/2021** — अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कम्भीरखान पुत्र गाडूखान 2. अब्दुलकरीम पुत्र मीयाखान 3. अमीनखान पुत्र मीयाखान 4. इमणा पत्नी मीयाखान 5. एलीयास पुत्र बसंद 6. कायम पुत्र लखमीर 7. गुलामखान पुत्र मीयाखान 8. गाजीखान पुत्र गाडूखान 9. नूरो पत्नी लखमीर 10. फतनखान पुत्र मीयाखान 11. बचलखान पुत्र गाडूखान 12. भूंगर पुत्र बसंद 13. मुगर पुत्र बसंद 14. मजीज पुत्र लखमीर 15. मतलब पुत्र बसंद 16. मेरदीनखान पुत्र मीयाखान 17. मुरीद पुत्र बसंद 18. मिसरा पत्नी गाडूखान 19. रसूल पुत्र लखमीर 20. सतार पुत्र बसंद 21. सवाईखान पुत्र गाडूखान जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 07.06.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वक्त बंदोबस्त तहसील शिव के राजस्व ग्राम कालीजाल में अन्य खसरा नम्बरान के साथ खेत खसरा नम्बर 26 रकबा 34.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि प्रार्थीगण के परिवार की खातेदारी में आई हुई थी। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 26 की भूमि संवत् 2012 से संवत् 2037 से 2040 तक उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होती आई, किन्तु अगली जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 का संधारण करते समय लिपिकीय भूल से संहवन खसरा नम्बर 26 की किस्म गैर मुमकिन मगरा को कांट छांट की जाकर लाईन खींच दी गई तथा अगली जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 बनाते समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना ही खसरा नम्बर 26 की किस्म अन्य खसरा नम्बर 25 के आगे अंकित गैर मुमकिन नाडी के साथ यथोक्त का चिन्ह कर खसरा नम्बर 26 की भूमि की किस्म भी गैर मुमकिन नाडी अंकित कर दी गई, जबकि उक्त किस्म परिवर्तन करने के संबंध में कोई सक्षम आदेश का उल्लेख नहीं किया गयाा है। उक्त किस्म मात्र लिपिकीय त्रूटि से दर्ज हुई है। वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त खेत की किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा मौके पर किसी प्रकार की नाडी वगैरा नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड की किस्म में अभिलेखीय संधारण एवं लिपिकीय त्रूटि का दुरस्त करते

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

हुए वक्त बंदोबस्त रेकर्ड अनुसार किस्म गैर मुमकिन नाडी के स्थान पर गैर मुमकिन मगरा का सही अंकन दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी तहसीलदार शिव से विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाडी के स्थान पर गैर मुमकिन मगरा किये जाने के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा कालीजाल के खसरा नम्बर 26 रकबा 34.07 बीघा भूमि में किसी प्रकार की नाडी नहीं है। मौके पर भूमि समतल है एवं खातेदार काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरा नम्बर में खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2037 से 2040 तक राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकिन मगरा दर्ज है, जबकि जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में किस्म गैर मुमकिन मगरा लिखकर काटा गया है तथा अगली जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में खसरा नम्बर 26 की किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज हो गया है, जबकि मौके पर नाडी नहीं है एवं खातेदार काश्त करते आ रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए मौजा कालीजाल के खसरा नम्बर 26 रकबा 34.07 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी के स्थान पर गैर मुमकिन मगरा करने बाबत् आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी मौजा कालीजाल के खसरा नम्बर 26 रकबा 34.07 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी के स्थान पर गैर मुमकिन मगरा दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी के उक्त खसरा नम्बर में खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2037 से 2040 तक राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकिन मगरा दर्ज है, जबकि जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में किस्म गैर मुमकिन मगरा लिखकर काटा गया है तथा अगली जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में खसरा नम्बर 26 की किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज हो गया है, जबकि मौके पर किसी प्रकार की नाडी नहीं है एवं खातेदार काश्त करते आ रहे है। आवेदन के संलग्न दस्तावेजात अनुसार विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा खतौनी बंदोबस्त में खसरा नम्बर 26 रकबा 34.07 बीघा की किस्म गैर मुमकिन मगरा दर्ज है, किन्तु जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में किस्म गैर मुमकिन मगरा लिखकर काटा गया है तथा अगली जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में खसरा नम्बर 26 की किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज हो गया है। अतः उक्त स्थिति में पूर्व में विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन मगरा दर्ज होने तथा बाद में लिपिकीय त्रूटि से किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज होने तथा मौके पर किसी प्रकार की नाडी नहीं होने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के खसरा नम्बर 26 की किस्म दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कालीजाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 26 रकबा 34.07 बीघा में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज किस्म गैर मुमकिन नाडी को निरस्त करते हुए किस्म गैर मुमकिन मगरा दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार किस्म दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त किस्म दुरस्ती से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)